भारत सरकार
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्याः 619
उत्तर देने की तारीख 23 जुलाई, 2025 (बुधवार)
1 श्रावण, 1947 (शक)
प्रश्न
राइजिंग नॉर्थ-ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025

619. श्री बैजयंत पांडाः

क्या **उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) राइजिंग नॉर्थ-ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 के दौरान अंतिम रूप दिए जा चुके प्रस्तावों और उनके कार्यान्वयन के लिए तय की गई समय-सीमा सहित प्राप्त हुए निवेश प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त समिट के दौरान सबसे अधिक निवेश प्रस्ताव आकर्षित करने वाले क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;
(ग) इन अधिक रुचि वाले क्षेत्रों में निवेश को प्राथमिकता देने और सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) उक्त समिट के अंतर्गत प्रस्तावित औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान पर्यावरणीय सततता और जलवायु लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में व्यापार और निवेश को उत्प्रेरित करने के लिए राइजिंग नॉर्थ-ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का आयोजन किया। कुल मिलाकर, इस शिखर सम्मेलन और इससे पूर्व आयोजित रोडशो से समझौता ज्ञापन, आशय पत्रों और निजी निवेशकों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और बड़े औद्योगिक संघों से क्वालीफाइड लीड्स के माध्यम से **4.48 लाख करोड़ रुपये** के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। राज्य सरकारें इन समझौता ज्ञापनों को मूर्त रूप देने के लिए सभी निवेशकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ी हुई हैं।

(ख) अन्य क्षेत्रों के साथ ऊर्जा तथा कृषि खाद्य प्रसंस्करण और संबद्ध क्षेत्रों ने शिखर सम्मेलन के दौरान सबसे अधिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त किए।

(ग) भारत सरकार उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में औद्योगिक इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने और रोज़गार सृजन हेतु नए निवेश आकर्षित करने के लिए उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगीकरण (उन्नति) स्कीम लागू कर रही है। उन्नति स्कीम के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहन हैं: (i) पूंजी निवेश प्रोत्साहन; (ii) केंद्रीय पूंजी ब्याज अनुदान प्रोत्साहन; और (iii) विनिर्माण एवं सेवा संबद्ध प्रोत्साहन। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारें भी निवेश को सुगम बनाने के लिए विभिन्न कदम उठा रही हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ सिंगल विन्डो मंजूरी, निवेश संवर्धन अभिकरण की स्थापना, भूमि बैंकों का निर्माण, निवेश के लिए प्रोत्साहन आदि शामिल हैं। इन निवेश प्रस्तावों को मूर्त रूप देने के लिए उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय राज्यों और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय भी कर रहा है।

(घ) राज्य सरकारें पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में पारिस्थितिक सौम्यता को संरक्षित करते हुए आर्थिक विकास हासिल करने के लिए कम कार्बन वाली प्रौद्योगिकियों और पर्यावरणीय रूप से सतत प्रथाओं को

अपनाने को बढ़ावा देती हैं। उन परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है जो खतरनाक प्रभाव पैदा नहीं करती हैं और जिन्हें हरित उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिससे स्थानीय पर्यावरण पर न्यूनतम नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

*****